



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
 एच - 169 , मैक्टर - गामा, चितवन एस्टेट, ग्रेटर नौएडा सिटी  
 जिला - गौतम बुद्ध नगर  
 दूरभाष न० : 95120-2326150/151 फेक्स न० 95120-2326143/145

प्रत्राकं : सम्पति/हस्तारण पत्र /2008 / 469

**अंतरण ज्ञापन**  
**Transfer Memorandum**

दिनांक 08-05-2008

आवंटन सख्यां D0135090  
 क्षेत्रफल 450 वर्ग मी० मैक्टर  
 वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मी० मैक्टर

ब्लॉक M  
 ब्लॉक का नाम EBNOY ESTATE  
 भूखण्ड सख्यां 98  
 मैक्टर DELTA-03

**अंतरक के पक्ष से**

अंतरक का नाम SARABJIT KAUR  
 सह आवेदक  
 पिता/पति का नाम LATE SH. NIRMAL SINGH DHILLON  
 पता 97. PHASE-III A  
 MOHALI  
 PUNJAB

**अंतरिकी के पक्ष से**

अंतरिकी का नाम DR. SATYAJIT KUMAR SINGH  
 सह आवेदक DR. BIBHA SINGH  
 अंतरिकी के पिता/पति का नाम C.H.SINGH & DR. S.K. SINGH  
 पता BASUDEO SADAN  
 KADAM KUAN  
 PATNA (BIHAR)

उपरोक्त अंतरण हस्तान्तरण प्रपत्र दिनांक 31/5/08 के कम में पबन्धक सम्पति के अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाना

- 1 अंतरक / अंतरिकी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त सम्पति सभी प्रकार से भार मुक्त है तथा कहीं बन्धक नहीं है। बन्धक पाये जाने की दशा में अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2 अंतरिकी द्वारा इस पत्र के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर निबन्धित अंतरण प्रलेख का निबन्धन सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालय मैक्टर गामा (चितवन एस्टेट) नौएडा सिटी में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 3 अंतरण ज्ञापन अंतरण प्रलेख का अनिवार्य अंग होगा तथा अंतरण के साथ परिशिष्ट के रूप में निबन्धित किया जायेगा।
- 4 अंतरिकी द्वारा वकाया आवंटन धनगति अथवा कोई अन्य देय शुल्क के भुगतान में हुए विलम्ब हेतु 20 प्रतिशत की दर में चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। जिसका गमायांजन पत्येक तीन माह के उपरान्त होगा।
- 5 निश्चित समयावधि में निर्माण कार्य स्थापित न होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयवृद्धि शुल्क देय होगा निर्माण समयावृद्धि अंतरण होने के फलस्वरूप नये सिंग से लागू नहीं होगी तथा अंतरिकी को निर्माण हेतु केवल उतना समय मिलेगा जो अंतरण के दिन अवशेष रहा है।
- 6 अंतरक एवं ग्रेटर नौएडा के मध्य निष्पादित पट्टा प्रलेख दिनांक 07-08-2003 में वर्णित शर्तें एवं नियम एवं अंतरण ज्ञापन की शर्तें अंतरिकी पर बाध्यकारी होगी।
- 7 अंतरिकी उपरोक्त आवासीय भवन का उपयोग दिनांक 07-08-2003 से केवल 90 वर्ष की अवधि के अंग भाग के लिये पट्टे के रूप में करेगा।
- 8 प्राधिकरण की अनुमोदित भवन नियमावली के नियम निर्देशों उपबन्धी के विरुद्ध किये गये निर्माण कार्य के फलस्वरूप समस्त दायित्व स्वतः ही अंतरिकी से निहित समझ जायेगा।
- 9 अंतरिकी एवं उसके पति/ पत्नी/ आश्रित / अवयस्क वच्चे ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में अन्य आवंटन ग्राह्य करने के लिये अयोग्य होंगे।
- 10 भूखण्ड हस्तान्तरण के बाद भी कोई देय बन्तों है तो अंतरिकी को ब्याज सहित देना होगा।
- 11 अंतरिकी द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड का उपयोग आवासीय योजना के अन्य प्रचलित नियम निर्देशों के अनुसार न करने की दशा में आवंटन निरस्तकरण हेतु वाञ्छित कार्यवाही की जायेगी तथा अंतरिकी कोई अनुतोप पाने का अधिकारी न होगा।
- 12 अंतरण अनुमति इस के साथ पदान की गयी है कि अंतरिकी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक भवन निर्माण की कार्यवाही पूर्ण कर सम्पत्तीगत मर्टीफिकेट प्राप्त करे। अन्यथा भूखण्ड निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

पतिलिपि

1. SARABJIT KAUR
2. DR. SATYAJIT KUMAR SINGH

योजना प्रभारी (सम्पति)  
 योजना प्रभारी (सम्पति)

08/05/08

08/05/08